www.srscollegekhejroli.in

महात्मा गाँधी पी.जी. कॉलेज, श्रीमाधोपुर द्वारा संचालित

एस.आर.एस. पी.जी. महाविद्यालय

खेजरोली (जयपुर)

Mobile : 9414205222, 9829638682 • E-mail : srcollegekhj@gmail.com

PROSPECTUS
2020-21

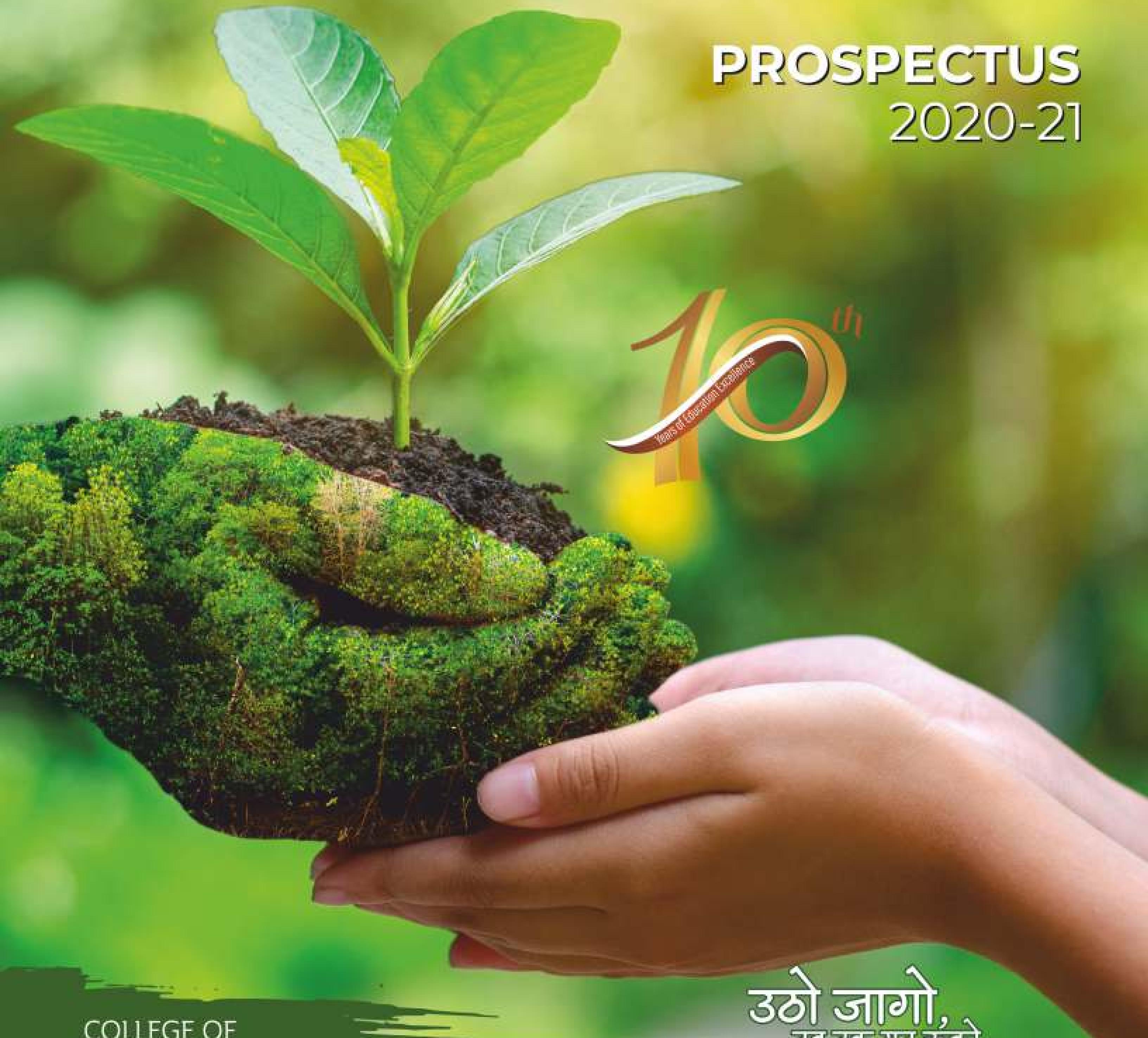

COLLEGE OF
ARTS, SCIENCE, COMMERCE
AND OTHER PROFESSIONAL COURSES

उठो जागो,
तब तक मत रूको,
जब तक
लक्ष्य प्राप्त न हो जाये
–स्वामी विवेकानन्द

दो शब्द
क्षेत्र के नागरिकों/अभिभावकों से

सम्मानीय नागरिकों / अभिभावकों,

श्रीमाधोपुर क्षेत्र में शिक्षा में अपार सफलता के बाद एम. जी. पी. जी. कॉलेज, श्रीमाधोपुर आपके क्षेत्र खेजरोली में शिक्षा को नई दिशा प्रदान करने के लिए एक महत्त्वपूर्ण आयाम स्थापित करने जा रहा है। जिससे आपके नवनिहालों को एक गुणात्मक, सृजनात्मक, सकारात्मक और रोजगारपरक शिक्षा देकर परिवार, समाज, समुदाय और राष्ट्र के प्रति सभ्य एवं सुसंस्कारित नागरिक बनाया जा सके। एक तरफ जहाँ यहाँ के बच्चों को मूल्यपरक एवं ज्ञानवर्धक शिक्षा प्राप्त करने के लिए चौमूँ, शाहपुरा, जयपुर, कालाडेरा, सीकर आदि स्थानों पर जाना पड़ता था। तभी तमाम आंकलनों, अवलोकनों एवं अन्वेषणों के पश्चात् सत्र 2010 से चल रहे एस.आर.एस. पी.जी. महाविद्यालय खेजरोली रूपी छोटे से पेड़ की परवरिश करने का उत्तरदायित्व हमें प्राप्त हुआ। इस क्षेत्र में शैक्षिक वातावरण उत्पन्न करने के लिए एस.आर.एस. पी.जी. महाविद्यालय, खेजरोली हमेशा प्रयासरत रहेगा।

ग्रामीण क्षेत्र में उदयमान महाविद्यालय गुरूकुल जैसे शान्त, सौम्य, अनुशासित एवं संस्कारी वातावरण तथा सम्पूर्ण संसाधनों से सुसज्जित विशाल भवन में (पैट्रोल पम्प के पास, खेजरोली) संचालित हैं नवीन शैक्षणिक सत्र 2020-21 में आप सभी महानुभावों का सहयोग अपेक्षित है।

श्रीमती पार्वती देवी
अध्यक्षा (महाविद्यालय प्रबंध समिति)
एस.आर.एस. पी.जी. महाविद्यालय

श्री मोहर सिंह खर्रा
सचिव-श्री राधास्वामी पी.जी. महाविद्यालय

शैक्षणिक व्यवस्था

विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से मूल्यपरक एवं रोजगारोन्मुखी शिक्षा दी जा सके इसके लिए योग्य एवं अनुभवी व्याख्याता नियुक्त किये गए हैं। महाविद्यालय प्रबंध समिति द्वारा महाविद्यालय में पढ़ने वाले गरीब विद्यार्थियों (BPL) को शिक्षण शुल्क में छूट का प्रावधान है। छात्रों के आवेदन अधिक होने पर अन्तिम कक्षा के प्राप्तांकों के आधार पर प्रवेश की वरीयता सूची जारी की जायेगी। स्नातक व व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में सीट संख्या सीमित है।

दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्र (जहां से आवागमन की सुविधा उपलब्ध नहीं है) के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम खर्चे पर महाविद्यालय की बस सेवा संचालित की जायेगी। महाविद्यालय में समय-समय पर निःशुल्क स्वास्थ्य जाँच के लिए अनुभवी चिकित्सकों की व्यवस्था की जाती है।

कॉलेज में राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर द्वारा स्थायी परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। जहाँ विश्वविद्यालय की विभिन्न परीक्षाऐं सम्पन्न करवायी जाती है। साथ ही विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाऐं भी महाविद्यालय परिसर में सम्पन्न होती है। जिनमें पंचायती राज द्वारा आयोजित परीक्षाऐं, बोर्ड द्वारा आयोजित रीट परीक्षा, कोटा खुला विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित RKCL तथा RPSC की परीक्षाऐं मुख्य है।

ABOUT COLLEGE

नवल शिक्षण संस्थान, श्रीमाधोपुर का गठन उच्च शिक्षा के विकास में सहयोग के लिए किया गया। ताकि क्षेत्र की उच्च शिक्षा में व्याप्त शिक्षा के अभाव को दूर किया जा सके। नये आयाम स्थापित कर सामाजिक व सांस्कृतिक चेतना की अखण्ड ज्योति प्रज्वलित की जा सके। क्योंकि समाज चेतना की कुँजी शिक्षा ही है। एस. आर. एस. पी.जी. महाविद्यालय खेजरोली क्षेत्र का एकमात्र एंव प्रथम सहशिक्षा महाविद्यालय है। जो कला, विज्ञान, वाणिज्य संकाय में संचालित है। महाविद्यालय में सुसज्जित कम्प्यूटर, विज्ञान एवं भूगोल लैब स्थित है। CCTV युक्त कक्षा कक्ष, RO Water वातानुकूलित विशाल भवन की सुविधायें हैं महाविद्यालय के दूर-दराज के विद्यार्थियों के लिए न्यूनतम खर्चे पर बस सुविधा संचालित है। महाविद्यालय में समय-समय पर नि:शुल्क स्वास्थ्य जाँच के लिए अनुभवी चिकित्सकों की व्यवस्था की जाती है। महाविद्यालय में राज. विश्वविद्यालय द्वारा स्थायी परीक्षा केन्द्र बनाया गया है। जहाँ विश्वविद्यालय परिक्षा के साथ-साथ अन्य प्रतियोगी परीक्षाऐं सम्पन्न करवायी जाती हैं।

पाठ्यक्रम सुविधाऐं

कला संकाय स्नातक स्तर (बी.ए.)

(क) बी.ए. भाग - 1 (अनिवार्य विषय)			
सामान्य हिन्दी	सामान्य अंग्रेजी	कम्प्यूटर शिक्षा	पर्यावरण अध्ययन
वैकल्पिक विषय ग्रुप कोड			
हिन्दी साहित्य	संस्कृत साहित्य	राजनीति विज्ञान	भूगोल
इतिहास	समाज शास्त्र	लोक प्रशासन	अर्थशास्त्र

नोट- विश्वविद्यालय नियमानुसार 3 (तीन) साहित्य (Literature) विषय एक साथ नही ले सकते।

(ख) बी.ए. भाग II & III - बी.ए. भाग I में लिए गये वैकल्पिक विषय ही बी.ए. भाग - II व भाग III में लेने होंगे।

कला संकाय स्नातकोत्तर स्तर (एम.ए.)

भूगोल	राजनीति विज्ञान	हिन्दी साहित्य	संस्कृत साहित्य	समाज शास्त्र

विज्ञान संकाय स्नातक स्तर (बी.एससी.)

(क) बी.एससी. भाग - 1 (अनिवार्य विषय)			
सामान्य हिन्दी	सामान्य अंग्रेजी	कम्प्यूटर शिक्षा	पर्यावरण अध्ययन

वैकल्पिक विषय ग्रुप कोड

(Bio. Group)
Botany, Zoology, Chemistry,
Geography, Geology,
Environment Science

(Maths Group)
Maths, Physics, Chemistry,
Geography, Geology, Environment Science

नोट :- गणित वर्ग तथा जीव विज्ञान वर्ग में प्रवेश हेतु पृथक्-पृथक् योग्यता सूची बनेगी।

(ख) बी.एससी. भाग II व III बी.एससी. भाग - I में लिए गये वैकल्पिक विषय ही बी.एससी. भाग - II व भाग III में लेने होंगे।

नोट : प्रवेश नीति व विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश मैरिट के आधार पर होगा।

वाणिज्य संकाय स्नातक स्तर (बी.कॉम)

(क) बी.कॉम भाग - 1 (अनिवार्य विषय)			
सामान्य हिन्दी	सामान्य अंग्रेजी	कम्प्यूटर शिक्षा	पर्यावरण अध्ययन

वैकल्पिक विषय ग्रुप कोड

ABST	BADM	EAFM

(ख) बी.कॉम भाग II & III बी.कॉम भाग-I में लिये गये वैकल्पिक विषय ही बी.कॉम भाग-II व भाग-III में लेने होंगे।

PGDCA
(Post Graduate Diploma in Computer Application)

माध्यम - अंग्रेजी/हिन्दी (30 Seats)

मानदण्ड - किसी भी संकाय से स्नातक उत्तीर्ण

Duration - 1 Year

स्नातक में न्यूनतम 48 प्रतिशत प्राप्तांक (SC, ST, OBC - 45 %)

प्रवेश नीति व विश्वविद्यालय के नियमानुसार प्रवेश मैरिट के आधार पर होगा।

PGDYT (Post Graduation Diploma in Yoga Therapy)

माध्यम - हिन्दी/अंग्रेजी

Duration – 1 Year Diploma (2 Semster)

मानदण्ड

किसी भी विषय में स्नातक

Diploma Course IIT Bombay से Spoken Tutorial & Various Types in IT Fields

Duration : 1 Year / 6 Months Course

B.A. / B.Sc. / B.Com. के साथ।

मानदण्ड - किसी भी संकाय से 10+2

RKCL RS-CIT
(Vardhman Mahaveer Open University, Kota)

माध्यम - हिन्दी/अंग्रेजी

Duration – 3 Month (Diploma)

मानदण्ड

किसी भी संकाय से कक्षा 10 उत्तीर्ण छात्र। क्षेत्र के किसी भी स्कूल/महाविद्यालय के छात्र RKCL (RS-CIT) कोर्स कर सकते है।

1. विद्यार्थी अनिवार्य विषय को डिग्री पाठ्यक्रम के तीन वर्षों में से कभी भी उत्तीर्ण कर सकेगा।
2. स्नातक स्तर पर प्रथम वर्ष में किसी विषय में प्रविष्ठ विद्यार्थियों की संख्या 10 से कम रहने की स्थिति में उस विषय को वर्तमान शिक्षण सत्र के लिए स्थगित कर दिया जायेगा।
3. महाविद्यालय में प्रवेश के लिए स्थान सीमित है, यह आवश्यक नहीं कि प्रवेशार्थी द्वारा चाहे गये विषय उसे मिल ही जायें। अतः प्रवेशार्थी आवेदन पत्र में महाविद्यालय में उपलब्ध विषय वरीयता क्रम में भरें।

प्रवेश नियमावली

1. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ दी गई विवरणिका का सावधानीपूर्वक आवश्यक रूप से पूर्ण अध्ययन कर लें।
2. महाविद्यालय के प्रत्येक संकाय/विषय में सीटों की संख्या निश्चित है, उतने ही स्थानों पर राज्य सरकार के नियमानुसार प्रवेश देय होगा।
3. अपूर्ण अथवा निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।
4. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात् कोई भी प्रवेश नहीं होगा।
5. जिन छात्रों को पूरक परीक्षा में सम्मिलित होना है, उनको सत्र के प्रारम्भ में ही प्रवेश की निर्धारित तिथि तक अगली कक्षा में अस्थाई प्रवेश ले लेना चाहिए। उनकी उपस्थिति महाविद्यालय में अध्ययन प्रारम्भ होने की तिथि से मानी जायेगी। प्रवेश न लेने की स्थिति में परिणाम घोषित होने के बाद नियमित प्रवेश नहीं हो सकता।
6. प्रवेश आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रलेख होने आवश्यक हैं।
   - **(क) अर्हकारी परीक्षा की अंकतालिका, चरित्र प्रमाण पत्र तथा स्थानान्तरण प्रमाण पत्र की मूल प्रतियाँ व प्रमाणित छाया प्रतियाँ जमा करवानी होंगी।**
   - **(ख) सैकेण्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र/अंक तालिका की प्रमाणित प्रति।**
   - **(ग) यदि छात्र/छात्रा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति/ओ.बी.सी. का है तो उसकी पुष्टि में जिला कलेक्टर/प्रथम श्रेणी के दण्डनायक/तहसीलदार का प्रमाण पत्र संलग्न करें।**
   - **(घ) विश्वविद्यालय परिवर्तन का मूल प्रव्रजन प्रमाण पत्र (माइग्रेशन सर्टिफिकेट) जो छात्र/छात्राऐं सम्बधित विश्वविद्यालय क्षेत्र के बाहर से आ रहे हैं, तो यह प्रवेश के एक माह में जमा कराना होगा।**
   - **(ड़) आय का विवरण पत्र।**
   - **(च) खेल आदि में विशेष योग्यता का प्रमाण पत्र जिनके आधार पर बोनस अंक चाहा गया है।**

9. आवेदन पत्र पर आवेदक के पिता/संरक्षक के सही हस्ताक्षर होने चाहिए। तथा उनका सत्यापन होना चाहिए। प्रत्येक असत्य विवरण का उत्तरदायित्व प्रार्थी का होगा।
10. महाविद्यालय में प्रवेश मिल जाने के बाद यदि किसी विद्यार्थी का आचरण आपत्तिजनक पाया गया, उसने महाविद्यालय का अनुशासन भंग किया या प्रवेश आवेदन पत्र में कोई असत्य सूचना दी गई, महाविद्यालय नियमों का उल्लंघन किया, अपने पिता/संरक्षक के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति के हस्ताक्षर कराये या स्वयं ने हस्ताक्षर किये तो उसका यह कार्य अत्यंत अवांछनीय होने के कारण दण्डनीय अपराध समझा जायेगा और उसका प्रवेश तुरन्त रद्द कर दिया जायेगा। जिसका किसी भी न्यायालय में वाद प्रस्तुत नहीं किया जा सकेगा।
11. प्रवेश समिति को यह अधिकार होगा कि उचित कारण होने पर बिना कारण बताए किसी भी आवेदन पत्र को अस्वीकार कर दें / प्रवेश निरस्त कर दें।
12. एन.एस.एस. / रोवर में प्रवेश हेतु सम्बधित अधिकारी से सम्पर्क करें तथा सूचना पट्ट देखें।
13. अपने मूल प्रलेख महाविद्यालय में जमा करवाने से पूर्व उनकी पर्याप्त सत्यापित प्रतिलिपियाँ अपने पास रख लें।
14. विद्यार्थियों के लिए 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है।
15. विद्यार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रवेश से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्र, अंक तालिकाएँ एवं बोनस अंक हेतु दिये गये प्रमाण-पत्र विद्यार्थी द्वारा स्वप्रमाणित होनी चाहिए।

सामान्य नियम (समस्त संकाय हेतु)

प्रवेश अस्वीकार करने का अधिकार : प्राचार्य निम्नांकित स्थितियों में अभ्यर्थी का प्रवेश अस्वीकार कर सकते है:

1. जिसने प्रवेश हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र में कोई तथ्य जान बूझकर छिपाया हो अथवा मिथ्या प्रस्तुत किया हो।
2. जिसने शुल्क जमा कराने की घोषित तिथि तक महाविद्यालय में शुल्क नहीं जमा कराया हो।
3. जिसने अपूर्ण आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया हो।
4. जिसका प्रवेश सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियमों के अन्तर्गत स्वीकार्य न हो।
5. जो पूर्व वर्षों में किसी दुराचार/दुर्व्यवहार का अपराधी रहा हो।
6. परीक्षा में अनुचित साधनों के प्रयोग के लिए बोर्ड अथवा विश्वविद्यालयों द्वारा दण्डित किया गया हो।
7. जिसके विरूद्ध किसी शैक्षणिक अथवा अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ परिसर में या परिसर के बाहर हिंसात्मक व्यवहार करने का आपराधिक मामला न्यायालय में विचाराधीन हो।
8. जो न्यायालय के द्वारा नैतिक कदाचार अथवा इसी प्रकार के अन्य अपराध के कारण दोषी ठहराया गया हो।
9. जो प्रवेश प्रक्रिया के समय किसी शैक्षणिक /अशैक्षणिक कर्मचारी के साथ अभद्र व्यवहार करने का दोषी हो।
10. प्रवेश हेतु स्थान उपलब्ध न होने के कारण।

स्नातक द्वितीय एवं तृतीय वर्ष में स्वयंपाठी छात्रों के प्रवेश पर केवल उसी स्थिति में विचार किया जा सकेगा जबकि समस्त नियमित छात्रों को प्रवेश देने पर सम्बन्धित कक्षा या वर्ग में स्थान रिक्त हो तथा वैकल्पिक विषयों का समूह महाविद्यालय में उपलब्ध हो।

स्नातक स्तर की कक्षाओं में स्वयंपाठी छात्रों को प्रवेश निम्नानुसार दिये जा सकेंगे -

आवेदन कर्त्ता	प्रवेश हेतु मापदण्ड
प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी	न्यूनतम मापदण्डों के अनुरूप पात्रता होने पर प्रथम वर्ष में योग्यता सूची में वरीयता के अनुसार प्रवेश देय होगा।
प्रथम वर्ष स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी	न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक होने पर द्वितीय वर्ष में प्रवेश देय होगा।
द्वितीय वर्ष स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी	न्यूनतम 50 प्रतिशत प्राप्तांक होने पर तृतीय वर्ष में प्रवेश देय होगा।
प्रथम वर्ष एवं द्वितीय वर्ष की परीक्षा स्वयंपाठी के रूप में उत्तीर्ण अभ्यर्थी	तृतीय वर्ष में प्रवेश देय नहीं होगा।

स्थानान्तरण के आधार पर प्रवेश

1. किसी नगर/कस्बे में अवस्थित एक महाविद्यालय में प्रविष्ट विद्यार्थी का उसी नगर के दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण किसी भी संकाय/विषय में स्वीकार्य नहीं होगा।
2. भिन्न-भिन्न स्थानों पर अवस्थित महाविद्यालयों में भी एक से दूसरे महाविद्यालय में स्थानान्तरण की अनुमति माता-पिता तथा प्रथम प्रवेश के समय घोषित संरक्षक के स्थानान्तरण जैसी विशेष परिस्थिति में ही दी जायेगी किन्तु माता-पिता के जीवित रहते अन्य कोई व्यक्ति संरक्षक नहीं हो सकेगा।
3. किसी कर्मचारी के स्थानान्तरण के स्थान अथवा उसके निकटवर्ती स्थान या गृह स्थान पर (जहां ऐसी सुविधा उपलब्ध हो) उसके पुत्र/पुत्री संरक्षित को इस आधार पर प्रवेश दिया जा सकेगा।
4. माता-पिता/संरक्षक के अतिरिक्त अन्य किसी अभिभावक के स्थानान्तरण की स्थिति में अभ्यर्थी का प्रवेश इस आधार पर तभी स्वीकृत किया जा सकेगा, जबकि आवेदक के अंक इस सत्र में उस कक्षा में योग्यता क्रम में प्रविष्ट अंतिम छात्र के अंकों के बराबर हो या उससे अधिक हो तथा उस महाविद्यालय में रिक्त स्थान उपलब्ध हो।
5. द्वितीय/तृतीय वर्ष स्नातक कक्षाओं में प्रवेश के लिए रिक्त स्थान होने पर सम्बद्ध विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार ही विचार किया जायेगा।

उपस्थिति नियम

1. प्रत्येक छात्र के लिए विषय में दिये गये व्याख्यानों अथवा प्रायोगिक कक्षाओं में 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य है अगर किसी छात्र की उपस्थिति 75 प्रतिशत से कम है तो उसे विश्वविद्यालय की परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
2. राष्ट्रीय सेवा योजना, राष्ट्रीय कैडेट कोर, खेल-कूद तथा सांस्कृतिक गतिविधियों या विश्वविद्यालय, अन्तर विश्वविद्यालय युवा समारोह में कॉलेज का प्रतिनिधित्व करने वाले छात्रों को उस अवधि में कक्षा में उपस्थित माना जायेगा।
3. सभी विद्यार्थियों (पूरक परीक्षा में बैठने वाले छात्रों सहित) की उपस्थिति की गणना कक्षा प्रारम्भ होने के प्रथम दिन से की जायेगी।
4. प्रत्येक विद्यार्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उपस्थिति की सूचना संबंधित प्राध्यापक से समय-समय पर प्राप्त करता रहे।
5. जिस छात्र/छात्रा की उपस्थिति कम होगी, उसकी सूचना हर माह के अन्त में सूचना पट्ट पर अंकित की जायेगी।
6. यदि कोई विद्यार्थी अपने अध्ययन में निरन्तर अरूचि दिखायेगा अथवा निर्धारित लिखित कार्य की अवहेलना करता पाया जायेगा तो उसे विश्वविद्यालय के नियमानुसार परीक्षा में बैठने से रोक दिया जायेगा।

प्रवेशार्थियों का प्रकार मानदण्ड

(अ) राजस्थान में अवस्थित किसी भी विद्यालय से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण अथवा राजस्थान के निवासी जो राजस्थान राज्य के अलावा अन्य किसी स्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो।अर्हकारी परीक्षा में 1.2 के अनुसार न्यूनतम प्राप्तांक।

(ब) राजस्थान के बाहर के ऐसे अभ्यर्थी जो राजस्थान के अलावा अन्य किसी स्थान से अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण हो तथा राजस्थान के निवासी न हो। अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक।

स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम वर्ष में प्रवेश की पात्रता

(बी.ए./बी.कॉम./बी.एससी. - पास कोर्स)

प्रवेश नीति 2020-21

प्रथम भाग-स्नातक पाठ्यक्रम (कला/विज्ञान/वाणिज्य) संकायों में प्रवेश के नियम

1.1 उपर्युक्त संकायों में स्नातक पाठ्यक्रमों के प्रथम भाग में प्रवेश हेतु मानदण्ड:

संकाय	अर्हकारी परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक प्रतिशत
	सामान्य पाठ्यक्रम (पास कोर्स)
कला	45
वाणिज्य	45
विज्ञान	48
एम.ए.	48 (आवेदित विषय में 55 प्रतिशत)

1. महाविद्यालय में समस्त प्रवेश योग्य छात्रों को प्रवेश देने के उपरान्त भी यदि किसी कक्षा/वर्ग में स्थान रिक्त रहते हैं तो उन्हें निदेशालय कॉलेज शिक्षा को सूचित करते हुये उपर्युक्त पात्रता में 3 प्रतिशत तक की छूट देकर वरियता क्रम में भरा जा सकेगा।
2. कृषि पाठ्यक्रम से उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले छात्रों के विज्ञान संकाय में प्रवेश के लिए सम्बधिंत विश्वविद्यालय के नियमों का पालन किया जायेगा। परन्तु पात्रता हेतु अंको का प्रतिशत उपर्युक्त तालिका के अनुसार ही रहेगा।

3. व्यावयायिक पाठ्यक्रमों में उच्च माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले विद्यार्थियों को केवल कला एवं वाणिज्य में ही प्रवेश दिया जा सकेगा, ऐसे विद्यार्थियों को प्रवेश योग्य सूची में वरीयता निर्धारित करने हेतु कुल प्राप्तांकों में अर्हकारी परीक्षा के अधिकतम अंकों का 5 प्रतिशत घटा दिया जायेगा।
4. कोई विद्यार्थी किसी कक्षा में उत्तीर्ण घोषित किये जाने के बाद अंक सुधार हेतु उसी कक्षा में प्रवेश लेने के लिए आवेदन करता है तो ऐसे छात्र को प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
5. डीफाल्टर्स को प्रवेश देय नहीं होगा।
6. विभिन्न संकायों के स्नातक प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के निम्नांकित संकायों के आवेदकों को प्रवेश दिया जा सकेगा:-

अन्तराल के पश्चात् प्रवेश:

(1) नियमित पाठ्यक्रमों में दो अकादमिक सत्रों से अधिक अन्तराल व्यतीत होने के पश्चात् नियमित/स्वयंपाठी आवेदक को अगली कक्षा अर्थात् स्नातक द्वितीय या तृतीय वर्ष में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी।

(2) अन्तराल सम्बंधी उपर्युक्त नियम महिला अभ्यर्थियों पर लागू नहीं होंगें।

नोट: महाविद्यालय के प्रथम वर्ष में इन्टरनेट से प्रवेश हेतु ली गई अंकतालिका को स्वयं के द्वारा सत्यापित कर प्रस्तुत करने पर ही अभ्यर्थी प्रवेश के पात्र होंगें। मूल अंकतालिका, टी.सी./सी.सी. प्रवेश होने के पश्चात् जमा करायी जावे।

आर्थिक सुविधाएं एवं छात्रवृत्तियां

1. कला, वाणिज्य संकाय की छात्राओं का महाविद्यालय शुल्क केवल 4000/- रू. देय होगा।
2. रेल्वे व बस कन्सेशन दशहरा/शीतकालीन/ग्रीष्मकालीन अवकाश में विद्यार्थी को कॉलेज से मूल निवास तक जाने तथा वापसी के लिए देय होगा।

महाविद्यालय छात्रवृत्ति

1. गरीब विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति (BPL)
2. प्रतिभावान विद्यार्थियों को स्व. चौधरी प्रतापसिंह खर्रा स्मृति छात्रवृत्ति (स्नातक स्तर पर प्रत्येक संकाय में प्रथम तीन स्थान को 3100/-, 2100/-, 1100/- रू. देय होगी।)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा देय मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

राजस्थान के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नियमानुसार देय है। विशेष विवरण:

1. छात्र द्वारा महाविद्यालय को दी जाने वाली फीस का भुगतान किया जायेगा किन्तु इसमें कॉशनमनी व महाविद्यालय विकास शुल्क नहीं होगा।
2. नवीनीकरण-अगली कक्षा में प्रवेश लेने पर पाठ्यक्रम की समाप्ति तक देय होगी।
3. एक ही माता-पिता/अभिभावक के सभी बच्चे छात्रवृत्ति पाने के हकदार होंगे।
4. छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु छात्र का अच्छा आचरण व उपस्थिति में नियमितता आवश्यक है।
5. गलत भुगतान होने पर अभिभावक से वसूली की जा सकती है।
6. आवेदन प्रक्रिया- महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर आवेदन शैक्षिणिक सत्र में ऑनलाईन शुरू किये जाते हैं जिस हेतु-
   (क) पासपोर्ट साईज फोटो
   (ख) उत्तीर्ण परीक्षाओं की डिग्री या डिप्लोमा पत्रों की प्रति।
   (ग) तहसीलदार द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र।
   (घ) आय का घोषणा पत्र।
   (ङ) SBI बैंक अकाउण्ट
   (च) महाविद्यालय शुल्क की रसीद (मूल प्रति)

छात्रवृत्ति राशि

महाविद्यालय में जमा फीस रसीद के अनुसार छात्रवृत्ति देय होगी।

निम्नांकित दशाओं में छात्रवृत्ति देय नहीं होगी

(क) शिक्षा का एक चरण उत्तीर्ण करने के पश्चात् शिक्षा के उसी चरण में दूसरे विषय में अध्ययन करने पर जैसे- बी.कॉम करने के बाद बी.ए. में

(ख) पूर्णकालिक नियोजन वाले छात्र

(ग) अन्य छात्रवृत्तियां दी जाती हों।

छात्रवृत्ति	योग्यता	आय	संलग्न दस्तावेज
केन्द्रीय छात्रवृत्ति	माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर द्वारा विज्ञान संकाय में 70% कला में 63.06%,वाणिज्य में 65.06%, अंक प्राप्त करने पर	माता पिता की कुल वार्षिक आय 4,50,000 (चार लाख पचास हजार) रू. से अधिक न हो	10वीं, 12वीं कक्षा की अंकतालिका जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र SBI खाता, आय प्रमाण पत्र
आवश्यकता एवं योग्यता छात्रवृत्ति	राजस्थान के विद्यार्थी जिन्होनें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सैकण्डरी/सी. सैकण्डरी /उपाध्याय या किसी महाविद्यालय से स्नातक परीक्षा 60 प्रतिशत या अधिक अंकों से उत्तीर्ण की हो।	माता पिता की कुल वार्षिक आय 1,00,000 (एक लाख) रू. से अधिक न हो	10वीं, 12वीं कक्षा की अंकतालिका जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र SBI खाता, आय प्रमाण पत्र
मृतक राज्य कर्मचारियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति	• राज्य सेवा में कार्य करते हुए मृतक कर्मचारी के उच्च शिक्षा में अध्ययनरत बच्चों के लिये। • मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में अध्ययन करने व उत्तीर्ण होने पर	कोई आय सीमा नहीं	कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र पद एवं विभाग का प्रमाण पत्र
स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति	राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों एवं पौत्रों को अध्ययनरत होने एवं गत परीक्षा उत्तीर्ण होने पर	....	10वीं, 12वीं कक्षा की अंकतालिका जाति एवं मूल निवास प्रमाण पत्र SBI खाता, आय प्रमाण पत्र
मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति	सरकार द्वारा निर्धारित प्रतिशत के अनुसार अंक प्राप्ति, विज्ञान, कला एवं वाणिज्य में 60 प्रतिशत अंक	अभिभावक की वार्षिक आय 2,50,000 (दो लाख पचास हजार) से कम	मूल एवं जाति प्रमाण पत्र, 10वीं व 12वीं की अंकतालिका SBI खाता, आय प्रमाण पत्र
महिला योग्यता छात्रवृत्ति	सीनियर सैकण्डरी अजमेर या केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड या स्नातक परीक्षा 60 प्रतिशत अथवा अधिक अंकों से उत्तीर्ण की हो।	अभिभावक की वार्षिक आय 1,00,000 (एक लाख) रू. या इससे कम हो।	मूल एवं जाति प्रमाण पत्र, 10वीं व 12वीं की अंकतालिका SBI खाता, आय प्रमाण पत्र
राजस्थान के पूर्व सैनिकों की पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति	सीनियर सैकण्डरी परीक्षा उत्तीर्ण करके महाविद्यालय में प्रवेश लेने पर	आयकर दाता नहीं हो	मूल एवं जाति प्रमाण पत्र, 10वीं व 12वीं की अंकतालिका SBI खाता, आय प्रमाण पत्र

टिप्पणियाँ

1. नूतन से तात्पर्य किसी पाठ्यक्रम की प्रथम वर्ष अर्थात् सीनियर सैकण्डरी की दशा में XI कक्षा, स्नातक में भाग-1 तथा डिप्लोमा कक्षा में प्रवेश लेने वाले वर्ष में प्रथम बार मिलने वाली छात्रवृत्ति से है।
2. छात्रवृत्ति की अवधि से आशय पाठ्यक्रम की अवधि से है-जैसे सीनियर सैकण्डरी के लिए दो वर्ष, बी.ए., बी.एससी., बी.कॉम, के लिए 3 वर्ष आदि।
3. सभी प्रकार की छात्रवृत्तियों के नवीनीकरण हेतु विद्यार्थी का अच्छा आचरण एवं उपस्थिति की नियमितता आवश्यक है।
4. छात्रवृत्ति सम्बन्धी आवेदन पत्र सम्बन्धित शिक्षण-संस्था प्राचार्य से या निदेशालय कॉलेज शिक्षा से 1 रू. प्रति आवेदन पत्र देकर प्राप्त किये जा सकते हैं। राष्ट्रीय छात्रवृत्ति के नूतन आवेदन पत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर/विश्वविद्यालयों द्वारा छात्रों के स्थायी पते पर नि:शुल्क उपलब्ध कराये जाते हैं। अध्यापकों के बच्चों को देय छात्रवृत्ति (नूतन) आवेदन पत्र निदेशक, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर से प्राप्त किये जाते हैं।
5. आय की गणना-वेतनभोगी कर्मचारियों की दशा में मानक कटौती कम करके की जाती है।

सहशैक्षणिक सुविधायें पुस्तकालय एवं वाचनालयः

पुस्तकालय एवं वाचनालय सुविधा प्राप्ति हेतु नियमः-

1. महाविद्यालय में प्रवेश के पश्चात् स्नातक विद्यार्थियों को सत्र भर के लिए दो पाठक टिकट निर्गमित किये जाते हैं।
2. पुस्तकालय प्रातःकाल 10.00 से 01.00 बजे तक खुला रहेगा तथा पुस्तकों का आदान-प्रदान प्रतिदिन प्रातःकाल 10.30 बजे से 1 बजे तक ही किया जा सकेगा।
3. पुस्तकें प्राप्त करते समय विद्यार्थी के पास परिचय पत्र होना आवश्यक है।
4. पुस्तक प्राप्त करने से पूर्व पुस्तक को भली भांति देख लें। यदि पुस्तक के पन्ने फटे हुए हों अथवा पृष्ठ कम हों तो सम्बन्धित अधिकारी को दिखाकर उसके हस्ताक्षर करा लें अन्यथा पृष्ठ कम पाये जायेंगे तो उसके लिए विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा।
5. पुस्तक निश्चित अवधि में लौटानी आवश्यक है अन्यथा विद्यार्थी को परीक्षा में बैठने की अनुमति नहीं होगी।
6. पुस्तक दो सप्ताह के लिए निर्गमित की जायेगी। निश्चित अवधि के बाद एक रू. प्रति पुस्तक प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लिया जायेगा।
7. संदर्भ पुस्तकों के उपयोग की सुविधा पुस्तकालय भवन में ही प्राप्त होगी।
8. विद्यार्थी के कार्ड खोने व उन पर प्राप्त की गई पुस्तकों के खो जाने पर तुरन्त लिखित सूचना पुस्तकालयाध्यक्ष को देनी चाहिए।
9. कार्ड खो जाने की स्थिति में अदेय प्रमाण-पत्र लेते समय प्रति कार्ड 15 रूपये वसूल किये जायेंगे। तथा पुस्तक के खो जाने पर पुस्तक की दोगुनी कीमत वसूल की जायेगी।
10. सत्र के अन्त अथवा मध्य में पुस्तकालय से अदेय प्रमाण-पत्र (Certificate) लेने से पूर्व पुस्तकालय की पुस्तकें लौटानी आवश्यक है।
11. पुस्तकालय के द्वारपाल को बाहर जाने वाली सभी पुस्तकें देखने का पूर्ण अधिकार होगा एवं आवश्यकता पड़ने पर पुस्तकालय कर्मचारियों द्वारा तलाशी ली जा सकेगी।
12. यदि कोई विद्यार्थी पुस्तक की चोरी करते हुए पकड़ा जाता है तो उससे पुस्तक की दोगुनी कीमत का अर्थदण्ड वसूल किया जायेगा और इस राशि का आधा भाग इसकी सूचना देने वाले व्यक्ति को दिया जायेगा। चोरी की सूचना देने वाले व्यक्ति का नाम गुप्त रखा जायेगा।
13. पुस्तकालय में शांति बनाये रखना नैतिक उत्तरदायित्व है।

(क)	महाविद्यालय शुल्क विवरण	
1.	पंजीकरण शुल्क	₹50/-
2.	पंजीकरण शुल्क	₹100/-
3.	स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र (T.C.) शुल्क	₹100/-
4.	चरित्र प्रमाण पत्र (C.C.) शुल्क	₹100/-
(ख)	**विश्वविद्यालय शुल्क**	
1.	नामांकन शुल्क (नये छात्रों से)	विश्वविद्यालय के नियमानुसार
2.	पात्रता शुल्क (बाहरी छात्रों से)	विश्वविद्यालय के नियमानुसार
3.	खेल शुल्क	विश्वविद्यालय के नियमानुसार
4.	परीक्षा शुल्क	विश्वविद्यालय के नियमानुसार
(ग)	**निम्न खेलों के लिए पृथक शुल्क देना होगा**	
1.	क्रिकेट (प्रतिमाह)	₹500/-
2.	बैडमिण्टन (प्रतिमाह)	₹200/-
3.	वॉलीवाल (प्रतिमाह)	₹200/-
(घ)	**वार्षिक शुल्क**	
1.	B.A. Pt. - I, II, III	₹6000/-
2.	B.Com. Pt. - I, II, III	₹5500/-
3.	B.Sc. Pt. - I, II, III	₹13000/-
4.	B.Sc. Pt. - I, II, III (English Medium)	₹20000/-
5.	M.A. Geography	₹13000/-
6.	M.A. Political Science, Hindi, Sanskrit, Sociology	₹6000/-
7.	PGDYT (Post Graduation Diploma in Yoga Therapy)	₹16000/-
8.	RKCL (RS-CIT)	VMOU के अनुसार
9.	IIT (Bombay) द्वारा संचालित विभिन्न प्रकार के कोर्स	....

नोटः

1. कला/ वाणिज्य संकाय में 75 प्रतिशत अंक आने पर छात्राओं का शुल्क मात्र 2500/-रू.।
2. कला, वाणिज्य संकाय की छात्राओं का महाविद्यालय शुल्क केवल 4000/-रू. देय होगा।

खेलकूद

महाविद्यालय में समस्त खेलों का प्रबन्ध क्रीड़ा समिति करती है। यहाँ कबड्डी, फुटबाल, वॉलीबाल, टी.टी., कुश्ती, बेडमिन्टन, बास्केटबाल, क्रिकेट, ऐथैलेटिक्स की सुविधा उपलब्ध है। क्रिकेट, बेडमिन्टन एवं टी.टी. के लिए पृथक शुल्क देना होगा। बैडमिन्टन के खिलाड़ी स्वयं के रैकेट का उपयोग करेंगे। संस्था में अन्तर संकाय खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाता है। योग्य खिलाड़ियों को अन्तर महाविद्यालय खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लेने का अवसर भी मिलता है। महाविद्यालय परिसर में प्रातः एवं सायंकाल नियमित अभ्यास करने की सुविधा उपलब्ध है।

अनुशासन सम्बन्धी नियम एवं आचरण-संहिता

1. छात्र परिचय-पत्र को निश्चित समय में प्राप्त करेगा और जब कभी वह महाविद्यालय प्रांगण में आयेगा इसे साथ लायेगा। इसका दुरूपयोग दण्डनीय माना जायेगा।
2. यदि किसी छात्र का व्यवहार महाविद्यालय प्रांगण में अथवा बाहर कहीं भी ऐसा हो जिससे महाविद्यालय की बदनामी हो या उसकी साख को क्षति पहुंचे तो प्राचार्य को इस बात का पूर्ण अधिकार होगा कि वे उस छात्र को महाविद्यालय से निष्कासित कर दें।
3. महाविद्यालय प्रांगण में धूम्रपान करना तथा नशीली वस्तुओं का सेवन/प्रयोग करना या करके आना वर्जित है। यदि कोई छात्र उक्त दुराचरण का दोषी पाया गया तो उस छात्र का महाविद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।
4. महाविद्यालय परिसर में मोबाइल का प्रयोग, अनावश्यक रूप से घूमना व दीवार आदि पर लिखना दण्डनीय अपराध है।
5. विद्यार्थियों को प्राध्यापकों का उचित सम्मान करना चाहिए तथा महाविद्यालय के कार्यालय कर्मचारियों, पुस्तकालयाध्यक्ष आदि के प्रति सद्व्यवहार करना चाहिए।
6. विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय में एक निर्धारित स्थान पर ही साइकिल एवं अन्य वाहन रखना अनिवार्य है। अन्य स्थान पर साइकिल आदि पाए जाने पर छात्र दण्ड के भागी होंगे तथा वाहनों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व महाविद्यालय का नहीं होगा।
7. विद्यार्थियों को वार्षिक परीक्षा में बैठने के पूर्व सभी बकाया शुल्क जमा कराना होगा अन्यथा प्राचार्य उन्हें परीक्षा में बैठने से रोक सकते हैं।
8. विद्यार्थियों को प्रतिदिन महाविद्यालय के सूचना पट्ट को देखना चाहिए क्योंकि कार्यालय किसी भी ऐसे बहाने को मान्यता नहीं देगा कि छात्र ने सूचना पट्ट नहीं देखा था और उसे किसी विशेष आदेश या सूचना की जानकारी नहीं थी।
9. छात्रों को समय का पाबन्द होना चाहिए।
10. महाविद्यालय द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में भाग लेना अनिवार्य है।
11. परिचय-पत्र छात्रों को अमूल्य निधि समझ कर सम्भाल कर रखना चाहिए। खो जाने पर डुप्लीकेट परिचय-पत्र का शुल्क 50/रू. देय होगा तथा इस हेतु छात्र को स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
12. चरित्र प्रमाण-पत्र अथवा स्थानान्तरण प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के लिए छात्रों को कम से कम तीन दिन पूर्व आवेदन करना होगा।
13. महाविद्यालय का गौरव प्रत्येक छात्र का गौरव है। इसलिए किसी भी छात्र को संस्था की गरिमा के विरूद्ध कोई कार्य नहीं करना चाहिए।
14. इन नियमों का उल्लंघन करने वाले छात्र को सर्वप्रथम अनुशासन समिति के समक्ष प्रस्तुत होना पड़ेगा। तत्पश्चात् समिति की रिपोर्ट पर प्राचार्य निर्णय करेंगे।
15. प्राचार्य द्वारा की गई इन नियमों की व्याख्या एवं छात्र के सम्बन्ध में लिये गये निर्णय अन्तिम होंगे।
16. प्राचार्य को इन नियमों में परिवर्तन व परिवर्द्धन करने का पूर्ण अधिकार होगा।
17. चेतावनीः छात्र, महाविद्यालय भवन की दीवारों एवं श्यामपट्ट पर अनावश्यक लिख कर उन्हें न बिगाड़े। इन स्थानों पर कुछ भी लिखने वाले छात्रों के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
18. महाविद्यालय भवन एवं परिसर को साफ सुथरा रखना व्यक्तिगत एवं सामूहिक नैतिक दायित्व है।
19. महाविद्यालय में किसी भी संस्था या क्लब के निर्माण हेतु प्राचार्य की पूर्वानुमति आवश्यक है।
20. प्राचार्य की पूर्वानुमति के बिना विद्यार्थी न तो सभा का आयोजन करेंगे और न ही बाहर से किसी अतिथि को आमंत्रित करेंगे।
21. छात्र/छात्राऐं महाविद्यालय की चल व अचल सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचाएँ।
22. पूर्व छात्र/छात्राऐं प्राचार्य की पूर्व लिखित अनुमति पर ही कक्षा में बैठे।
23. परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) अधिनियम 1992 के अनुसार विद्यार्थी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
24. समस्त छात्र/छात्राऐं महाविद्यालय समारोहों, उत्सवों, खेल-कूद प्रतियोगिताओं में शांति एवं अनुशासन बनाये रखें।
25. महाविद्यालय द्वारा आयोजित सभा या समारोहों के अवसर पर सभी अतिथिगण, प्राचार्य एवं अन्य अधिकारियों का विनम्रता पूर्वक सम्मान करें।

विश्वविद्यालय अध्यादेश- 88

यदि कोई विद्यार्थी गंभीर दुर्व्यवहार या जानबूझकर कार्य की उपेक्षा करने का दोषी पाया गया तो प्राचार्य उसकी प्रवृति और अपराध की गंभीरता के अनुरूप विद्यार्थी को दण्डित कर सकते हैः

1. कम से कम एक माह के लिए छात्र/छात्रा को निलम्बित कर सकते हैं।
2. कम से कम छः माह व अधिकतम एक शैक्षणिक सत्र के लिए छात्र/छात्रा को निष्कासित कर सकते हैं।
3. विद्यार्थी द्वारा दी जाने वाली परीक्षा के लिए अयोग्य घोषित कर सकते हैं।
4. निष्कासित विद्यार्थी को निलम्बन अवधि या उसके बाद उस महाविद्यालय के प्राचार्य की अनुमति के बिना अन्य किसी महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिल सकेगा।

राष्ट्रीय सेवा योजना

विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ-साथ राष्ट्रीय सेवा योजना के माध्यम से राष्ट्रीय एकता, पर्यावरण संरक्षण, घातक रोगों जैसे एड्स आदि के प्रति जागरुकता, स्वच्छता, टीकाकरण, साक्षरता, महिला व बाल विकास, बंजर भूमि विकास आदि कार्यक्रमों से जोड़कर सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती है। इच्छुक विद्यार्थियों को प्राथमिक चिकित्सा सहायता प्रशिक्षण दिया जाता है।

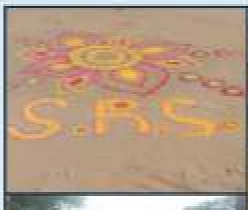

(स) स्नातक स्तर पर नवीनीकरणः

स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय प्रवेश के लिए सत्र 2020-2021 में महाविद्यालय का नियमित अथवा पूर्व छात्र (Ex-Student) होना या विश्वविद्यालय द्वारा उच्च कक्षा में प्रवेश हेतु योग्य घोषित करना ही पर्याप्त नहीं है बशर्ते कि उसका व्यवहार व चरित्र संतोषजनक रहा हो।

1.	आवेदन प्रपत्र का वितरण	सोमवार	01.06.2020 से
2.	आवेदन प्रपत्र जमा	मंगलवार	30.06.2020 तक
3.	अध्यापन प्रारम्भ	बुधवार	01.07.2020

नोटः

1. स्नातक पार्ट द्वितीय, तृतीय कक्षाओं में दिनांक 30.06.2020 तक बिना अर्हकारी परीक्षा का परिणाम घोषित हुए छात्रों को अस्थाई प्रवेश दिया जायेगा तथा दिनांक 01.07.2020 से नियमित अध्यापन कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा। कक्षाओं में छात्रों की उपस्थिति नियमित रूप से उपस्थिति पंजिका में अंकित की जावेगी तथा उसी तिथि से उपस्थिति की गणना की जायेगी।
2. सभी प्रवेश योग्य छात्रों को दिनांक 31.07.2020 तक महाविद्यालय कार्य दिवसों में वांछित शुल्क कार्यालय में आवेदन के साथ जमा करवानी होगी। आवेदन का प्रपत्र महाविद्यालय द्वारा उपलब्ध कराया जावेगा। अर्हकारी परीक्षा परिणाम घोषित होने के 15 दिन पश्चात् शुल्क स्वीकार नहीं होगा। अर्हकारी परीक्षा में अनुत्तीर्ण ऐसे छात्र, जिन्हें विश्वविद्यालय द्वारा अगली कक्षा में प्रवेश योग्य घोषित नहीं किया गया, उनका अस्थाई प्रवेश स्वतः ही निरस्त हो जाएगा तथा उनके द्वारा जमा कराया गया शुल्क वापस लौटा दिया जाएगा।

टिप्पणियां

1. प्रवेश सूची के अन्तर्गत प्रविष्ट अभ्यर्थियों द्वारा विनिर्दिष्ट तिथि (नोटिफाईड डेट) तक शुल्क जमा नहीं कराने पर ऐसे अभ्यर्थियों का प्रवेश स्वतः निरस्त माना जायेगा।
2. समस्त प्रवेश योग्य अभ्यर्थियों के प्रविष्ट होने के उपरान्त एवं प्रवेश हेतु और कोई भी फॉर्म उपलब्ध न होने के उपरान्त भी यदि किसी कक्षा/वर्ग में प्रवेश हेतु स्थान रिक्त रह जायें, तो प्राचार्य द्वारा इस प्रकार से उपलब्ध रिक्त स्थानों की सूचना महाविद्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित कर इन स्थानों पर प्रवेश के लिए नवीन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाने वाली इस सूचना में रिक्त स्थानों की संख्या जिस कक्षा/वर्ग में ये स्थान रिक्त हैं, तथा नवीन आवेदन पत्र स्वीकार करने की अंतिम तिथि का स्पष्ट उल्लेख होगा।

सत्र की गतिविधियां एवं अवकाश

वर्ष 2020-21 के लिए विश्वविद्यालयों द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारण एवं प्रकाशन	विश्वविद्यालय के नियमानुसार	....
शैक्षणिक सत्र आरम्भ	बुधवार	01.07.2020
अध्यापन आरम्भ (अ) स्नातक प्रथम वर्ष व स्नातकोत्तर (पूर्वार्द्ध) (ब) स्नातक द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष व स्नातकोत्तर (उत्तरार्द्ध)	- बुधवार	विश्वविद्यालय के अनुसार 01.07.2020
शैक्षणिक कार्यभार भेजने की अंतिम तिथि	शनिवार	विश्वविद्यालय के अनुसार
नियमित छात्रों द्वारा परीक्षा फार्म भरना	विश्वविद्यालय के अनुसार	
पूरक परीक्षाओं की समाप्ति	विश्वविद्यालय के अनुसार	
प्रथम कक्षा टेस्ट		सितम्बर माह में
दशहरा अवकाश	शुक्रवार से रविवार	23.10.2020 से 25.10.2020 तक
विश्वविद्यालय नामांकन	विश्वविद्यालय के अनुसार	
दीपावली अवकाश	रविवार से सोमवार	08.11.2020 से 16.11.2020 तक
द्वितीय कक्षा टेस्ट		दिसम्बर माह में
शीतकालीन अवकाश	शुक्रवार से गुरूवार	25.12.2020 से 31.12.2020 तक
शैक्षणिक भ्रमण, अन्य सह-शैक्षणिक गतिविधियां तथा सांस्कृतिक सप्ताह पुरस्कार वितरण समारोह, राष्ट्रीय सेवा योजना के शिविरों का आयोजन	रविवार	31.01.2021 तक
प्री-परीक्षा	गुरूवार	21.01.2021 से
परीक्षा पूर्व अवकाश	परीक्षा प्रारम्भ होने के 2 सप्ताह पूर्व	
वार्षिक परीक्षाओं का प्रारम्भ (क) स्नातक नियमित विद्यार्थी हेतु (ख) स्नातकोत्तरविश्वविद्यालय के अनुसार	विश्वविद्यालय के अनुसार विश्वविद्यालय के अनुसार	
सत्र का अन्तिम कार्य दिवस	बुधवार	30.06.2021
परीक्षा परिणामों की घोषणा	विश्वविद्यालय के अनुसार	
नवीन सत्रारम्भ	गुरूवार	01.07.2021 से

टिप्पणियां

1. महाविद्यालय द्वारा कोई भी सह-शैक्षणिक अथवा शिक्षणोत्तर गतिविधियाँ दिनांक 31.01.2021 के पश्चात् आयोजित नहीं की जायेंगी।
2. उपर्युक्त निर्धारित शैक्षणिक सत्र में सारणी में महाविद्यालय स्तर पर किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाये।
3. समस्त प्रायोगिक परीक्षाएं दिनांक 28.02.2021 से पूर्व आयोजित कर ली जाएंगी। प्रायोगिक परीक्षाओं के दौरान समस्त कक्षाऐं यथावत चलेंगी।
4. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमानुसार 180 शैक्षणिक दिवस होने आवश्यक है।

नवल शिक्षण संस्थान, श्रीमाधोपुर द्वारा संचालित संस्थाऐं

- **Mahatma Gandhi P.G. College, Shrimadhopur**
  (B.A., B.Sc., B.Com., BCA,
  CAT, PGDYT, PGDCA, M.A., M.Sc., M.Com. RS-CIT)
  E-mail: mgpgcollegesmpr@gmail.com
  Website: www.mgcollegesmpr.in
  Mobile: +91-7568178343

- **Mahatma Gandhi I.T.I Shrimadhopur**
  (Electrician, Fitter)
  E-mail: mgitcsmpr@gmail.com, pvt_iti_p445@yahoo.in
  Website: www.mgitismpr.in
  Mobile: +91-9828377504

- **S R S International School Khejroli**
  (CBSE English Medium) CBSE Aff. No. 1730545
  E-mail: shriradhaswamischool@gmail.com
  Website: www.srskhejroli.in
  Mobile: +91-9829638682

- **Mahatma Gandhi T.T. College, Shrimadhopur**
  (Arts, Science, Commerce)
  E-mail: mgttcollegesmpr@gmail.com
  Website: www.mgttcollegesmpr.in
  Mobile: +91-9829638682

- **Mahatma Gandhi International School Shrimadhopur**
  (CBSE English Medium) CBSE Aff. No. 1730519
  E-mail: mgischoolsmpr@gmail.com
  Website: www.mgischoolsmpr.in
  Mobile: +91-9413126176

- **S R S P.G. College, Khejroli**
  (B.A., B.Sc., B.Com., M.A.)
  Affiliated to University of Rajasthan
  E-mail: srcollegekhj@gmail.com
  Website: www.srscollegekhejroli.in
  Mobile: +91-9829638682

विवरणिका समिति : विजेन्द्र पुनियाँ (भूगोल), वीरेन्द्र कुमार यादव (रसायन शास्त्र), हेमराज संत (कम्प्यूटर ऑपरेटर)

महात्मा गाँधी पी.जी. कॉलेज, श्रीमाधोपुर द्वारा संचालित

एस.आर.एस. इन्टरनेशनल स्कूल

खेजरोली (जयपुर)

Contact : 9414205222, 9829638682 | E-mail : shriradhaswamischool@gmail.com
website : www.srskhejroli.in